आदेश की क्रम सं0 और तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id :- dccourt.grd@gmail.com) रैयती मान्यता वाद सं0–03/2021 मुनैजा खातुन –बनाम– राज्य	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	2	3

22.11.2021 अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 2364/रा0न्या0, दिनांक 26.10.2021 द्वारा रैयती मान्यता से संबंधित निम्न न्यायालय अभिलेख (रैयती मान्यता वाद) सं0–01/2020–21 मूल रूप में अग्रेतर कार्रवाई के निमित्त प्राप्त हुआ है।

वादगत भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	भूमि की प्रकृति	किस्म
पनयडीह	124	62	10	28डी0	गैरमजरूआ खास	परती गड़हा

वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :–उपरोक्त वर्णित ब्यौरे की भूमि गिरिडीह–कोडरमा नई रेलवे लाईन परियोजना हेतु अधिग्रहित की गई है। वादगत भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास परती गड़हा दर्ज होने के कारण प्रकाशित अधिसूचना में उक्त प्लॉट के मुआवजा भुगतान से संबंधित कोई जिक्र नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार जमींदारी उन्मूलन की तिथि 01.01.1946 से पूर्व निबंधित दस्तावेज सं0 173, दिनांक 25.01.1929 द्वारा भूतपूर्व जमींदार से कादीर अली वगैरह को वादगत भूमि का हस्तांतरण प्रथम बार की गई है, जिसकी जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0 62 भोलूम सं0 01 पर वर्ष 1963–64 से कायम है। पुनः निबंधित वसीयतनामा सं0 67, दिनांक 22.06.2007 के माध्यम से प्रथम पक्ष को वादगत भूमि हासिल है। आवेदक मुनैजा खातुन द्वारा गिरिडीह–कोडरमा नई रेलवे लाईन निर्माण परियोजना अन्तर्गत वादगत भूमि के मुआवजा भुगतान के निमित्त दायर आवेदन के आलोक में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 1297/भू0अ0, दिनांक 14.09.2019 द्वारा वादगत भूमि के संबंध में जाँचोपरान्त रैयती मान्यता के प्रस्ताव की माँग उचित माध्यम से की गई है।

उक्त के आलोक में तथा **W.P.(C) No.-5069/2017** में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित आदेश, दिनांक 29.03.2019 के अनुपालन में वाद पंजीकृत करते हुए वादी मुनैजा खातुन को नोटिश निर्गत किया गया एवं कई नोटिशों के उपरान्त सुनवाई की निर्धारित तिथि, दिनांक 22.11.2021 को वादी द्वारा अपना पक्ष रखा गया एवं उन्हें सुना गया।

वादी द्वारा अपने पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किया गया है :–

1. यह कि, यद्यपि सर्वे खतियान में वादगत भूमि गैरमजरूआ खास दर्ज है, परन्तु वर्ष 1929 में ही निबंधित केवाला से भूमि प्राप्त हो जाने के कारण उक्त भूमि गैरमजरूआ खास न रहकर रैयती भूमि हो गई है।
2. यह कि, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक

334/रा0, दिनांक 14.05.2009 के तहत् स्पष्ट है कि "केंद्र सरकार की लोक उपक्रमों की अन्य परियोजना के लिए भी अधिग्रहित गैरमजरूआ खास/सरकारी भूमि पर जिला प्रशासन द्वारा की गई विशेष स्थानीय नीति में अधियाचना तिथि से 30 वर्षों से अधिक अवधि से दखलकार पाये गए, जोत–आबाद कर रहे व्यक्तियों, जिनके नाम से पंजी II में 30 वर्षों से अधिक अवधि से जमाबंदी चल रही है, उन्हें कायमी रैयतों के समान अनुमान्य क्षतिपूर्ति राशि का समतुल्य लाभ परियोजना के खर्च पर दिया जाय।" उक्त वादगत भूमि पर विभिन्न दखलकारों(पूर्ववर्त्ती तथा वर्त्तमान) का दखल कब्जा 92 वर्षों से अधिक से चला आ रहा है एवं पंजी II में लगभग 58 वर्षों से जमाबंदी कायम है।

3. यह कि, वादगत भूमि वादी मुनैजा खातुन को वजरिये निबंधित वसीयतनामा सं0 67, दिनांक 22.06.2007 के माध्यम से प्राप्त है।
4. यह कि, वादगत भूमि पर गिरिडीह–कोडरमा रेलवे लाईन परियोजना के गुजरने के कारण आवेदक के 28डी0 भूमि अधिग्रहित की जा रही है। अतः रैयतों के समतुल्य मुआवजे की भुगतान करने के निमित्त वादगत भूमि की रैयती मान्यता की स्वीकृति प्रदान की जाय।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह के वाद सं0–01/2020–21 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2020 में निम्न तथ्यों को प्रतिवेदित किया गया है :–

वादगत भूमि सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास किस्म भूमि परती कदीम है। वादगत भूमि सर्वप्रथम निबंधित केवाला सं0 173, दिनांक 25.01.1929 द्वारा भूतपूर्व जमींदार से कादीर अली वगैरह को हासिल है, जिसकी जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0 62 भोलूम सं0 01 पर वर्ष 1963–64 से कायम है। पुनः निबंधित वसीयतनामा सं0 67, दिनांक 22.06.2007 के माध्यम से प्रथम पक्ष को वादगत भूमि हासिल है। हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदित भूमि का हस्तांतरण जमींदारी उन्मूलन की तिथि 01.01.1946 के पूर्व वैद्य तरीके से की गई है तथा एक लंबी अवधि वर्ष 1963–64 अर्थात् 53 वर्षों से जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत है। अतः उक्त के आलोक में वादगत भूमि मौजा पनयडीह, थाना सं0 124, खाता सं0 62 प्लॉट सं0 10, रकवा 28डी0 भूमि का रैयती मान्यता देने हेतु अनुशंसा की जाती है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के वाद सं0–01/2020–21 में पारित आदेश, दिनांक 17.08.2021 द्वारा निम्न तथ्यों के आधार पर वादी मुनैजा खातुन के रैयती मान्यता संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है :–

1. वादी मुनैजा खातुन के द्वारा प्रस्तुत निबंधित वसीयतनामा के विरूद्ध प्रोवेट वाद से संबंधित सक्षम न्यायालय का आदेश दाखिल नहीं किया गया है।
2. वादी के द्वारा जमींदारी रसीद तथा जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् वर्ष 1955–56 से निर्गत लगान रसीद की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. वादगत भूमि के पंजी–II में कादिर अली के नाम दर्ज जमाबंदी में लिप्त–लेखन है।
4. वादगत गैरमजरूआ खास भूमि की जमींदारी उन्मूलन के बाद भूतपूर्व जमींदार के द्वारा दाखिल रिटर्न उपस्थापित नहीं किया गया है।
5. उक्त के आलोक में वादगत भूमि की जमाबंदी संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः रैयती मान्यता संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है।

अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश, दिनांक 25.10.2021 के तहत् वादी मुनैजा खातुन द्वारा संबंधित राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं करने के कारण वादगत भूमि की रैयती मान्यता संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया है।

—: विचारण व निर्णय :—

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता एवं विज्ञ सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क तथा अभिलेखबद्ध कागजात के अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :—

1. यह कि, वादी मुनैजा खातुन के द्वारा प्रस्तुत निबंधित वसीयतनामा सं0 67, दिनांक 22.06.2007 में स्पष्ट अंकित है कि *"उक्त वर्णित जमीन पर हुबहू स्वामित्व मोकीरा अल्हे का होगा और कानूनी कार्रवाई कर वो* ***प्रोवेट करवा कर*** *वो जमींदारी सिरिस्ता अंचल, गिरिडीह में खारीज दाखिल करवा के वो सालाना माल अदाय कर रसीद लिया करें वो पुस्त दर पुस्त स्वतंत्र होकर भोग तसर्रुफ किया करें।"* स्पष्ट है कि वादी द्वारा उक्त वर्णित नियमों का पालन किए बिना अर्थात् उक्त वसीयतनामा के विरूद्ध प्रोवेट वाद संचालित किए बिना ही दाखिल—खारीज करा लिया गया, जो कि स्थापित नियमों के विरूद्ध है। वादी द्वारा प्रथमतः माननीय सिवील न्यायालय में उक्त वसीयतनामा में वर्णित संपत्तियों का प्रोवेट करवाकर अपने नाम से दाखिल—खारीज कराने एवं तत्पश्चात् वादगत भूमि का नियमितिकरण कराने के उपरान्त मुआवजा भुगतान हेतु दावा किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है।
2. यह कि, अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश में उक्त नियमों को ध्यान रखे बिना ही वादगत भूमि की रैयती मान्यता से संबंधी अनुशंसा कर दी गई है।
3. यह कि, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश नियमसंगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर वादी मुनैजा खातुन द्वारा अपने समर्थन में दिए तर्क को खारीज करते हुए वादगत भूमि मौजा पनयडीह, थाना सं0 124, खाता सं0 62 प्लॉट सं0 10, रकवा 28डी0 भूमि के रैयती मान्यता संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है।

संबंधित पक्ष को आदेश से अवगत कराते हुए LCR निम्न न्यायालय भेजें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
—सह—
उपायुक्त, गिरिडीह।

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2022.02.21 15:12:20 +05:30
Location: 192.168.137.160